

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं०-102

शांति पहाडिन

बनाम

16 आना रैयत

मौजा-तेगड़ा पहाड़ न०-67

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हरताक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख.....जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली याद संख्या 16 / 2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हरताक	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3
<p>80/19</p>	<p>अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 514/रा० दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा- तेगड़ा पहाड़, न०-67 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतों से अनापति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- तेगड़ा पहाड़, न०-67 में दिनांक 16.07.2019 को श्री मोसेस पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्रीमति शांति पहाडिन, पति-स्व० रामा पहाडिया, ग्राम-तेगड़ा पहाड़ को मौजा- तेगड़ा पहाड़, न०-67 में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- तेगड़ा पहाड़, न०-67 एक प्रधानी मौजा है। जिसका पूर्व प्रधान श्री रामा पहाडिया थे। जिनकी मृत्यु हो गयी है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमति शांति पहाडिन, पति-स्व० रामा पहाडिया, ग्राम-तेगड़ा पहाड़, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>श्रीमति शांति पहाडिन पूर्व प्रधान स्व० रामा पहाडिया की पत्नी है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यों में बड़-चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करती है। अतएव श्रीमति शांति पहाडिन प्रधान बनने योग्य है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदिका श्रीमति शांति पहाडिन को मौजा- तेगड़ा पहाड़, थाना न०-67 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p></p>

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

339/CPD
दिनांक 1.8.19